

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 31.08.2025

जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली मार्गदर्शन में व थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 177/2025 धारा 308(5) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अभियुक्त संतोष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र के मोबाइल नम्बर पर 03 लाख रुपये की मांग की गयी तथा पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संतोष चौधरी पुत्र रामसेवक चौधरी निवासी सरेया अतरहा टोला थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 177/2025 धारा 308(2) बीएनएस थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 उमांशकर कन्नौजिया चौकी प्रभारी बसन्तपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विकास कुमार थाना राजघाट गोरखपुर।
3. हे0का0 अशोक सरोज थाना राजघाट गोरखपुर।